2025:CGHC:20152-DB

**प्रकाशनार्थ अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**दोषमुक्ति अपील क्रमांक 242/2017**

छत्तीसगढ़ राज्य , द्वारा : थाना बमनीडीह, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़

**... अपीलार्थी**

**विरुद्ध**

गुलजार सिंह, पिता स्व. बख्त सिंह, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी ग्राम- बमनीडीह, थाना बमनीडीह, जिला जांजगीर- चांपा छत्तीसगढ़

**---प्रत्यर्थी**

| | | |
|---|---|---|
| अपीलार्थी/ राज्य की ओर से | : | श्री दीपक कुमार सिंह एवं श्री सच्चिदानंद यादव, पैनल अधिवक्तागण |
| प्रत्यर्थी की ओर से | : | श्री के.के. पटेल, अधिवक्ता की ओर से उपस्थित सुश्री अपूर्वा निगम, अधिवक्ता |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**युगलपीठ**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय एस. अग्रवाल एवं**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल**

**बोर्ड पर निर्णय**

**02.05.2025**

द्वारा **संजय एस. अग्रवाल, न्यायमूर्ति**

**1.** यह अपील अपीलार्थी/राज्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एतस्मिन पश्चात जिसे 'दं.प्र.सं.' कहा जाएगा) की धारा 378 के अधीन प्रस्तुत की गई है, जिसमें सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़) द्वारा दाण्डिक अपील क्रमांक 146/2016 में दिनांक 10.04.2017 को पारित निर्णय की वैधता और औचित्य को प्रश्नगत किया गया है, जिसके अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चांपा, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 461/2012 में दिनांक 25.10.2016 को पारित निर्णय को पलटते हुए, प्रत्यर्थी- गुलजार सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/34, 467/34, 468/34, 471/34 व 466 के अधीन दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया है।

**2.** अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 05.11.2011 को, शिकायतकर्ता– बंशीदास ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चांपा के समक्ष प्रत्यर्थी– गुलजार सिंह और अमित सराफ के विरुद्ध दं.प्र.सं. की धारा 156(3) के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह आरोप लगाया गया कि वह खसरा नम्बर 289 की 0.90 एकड़ भूमि का स्वामी है, जो ग्राम बरगदी, पटवारी हल्का नम्बर 18, तहसील चांपा में स्थित है और उस पर उसका कब्जा है और, कथित भूमि राजस्व दस्तावेजों में भी उसके नाम पर दर्ज है। यह भी आरोप लगाया गया है कि अपनी आजीविका के लिए, वह उक्त गाँव से बाहर थे और जब वह वापस लौटे और राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए संबंधित पटवारी के पास गए, तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रत्यर्थी ने सह–अभियुक्त, अर्थात् अमित सराफ के साथ मिलीभगत करके, उनकी भूमि उक्त अमित सराफ के नाम पर दर्ज करवा ली, जिसने उन्हें धमकी दी, जब वह अपनी भूमि पर कब्ज़ा लेने गए। उनका आगे आरोप यह है कि प्रत्यर्थी ने उनकी भूमि हड़पने के आशय से राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ की, यद्यपि उन्होंने कथित भूमि कभी भी उक्त अमित सराफ को विक्रय नहीं किया और उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए, प्रत्यर्थी ने अपने पद का दुरुपयोग करके उक्त अमित सराफ को अनुचित लाभ पहुँचाया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**3.** उपरोक्त शिकायत (प्रदर्श पी–9) प्राप्त होने के पश्चात, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चांपा ने थाना प्रभारी, बामनीडीह को प्रकरण की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और प्रकरण को जाँच हेतु विचाराधीन रखा गया और अपराध क्रमांक 03/2012 दर्ज किया गया और अन्वेषण के दौरान पाया गया कि सह–अभियुक्त, अमित सराफ ने कृषक सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बामनीडीह से खसरा नम्बर 289, क्षेत्रफल 0.90 एकड़ भूमि से संबंधित 'ऋण–पुस्तिका' के आधार पर धान खरीदा है और अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, प्रत्यर्थी और उक्त सह–अभियुक्त अमित सराफ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चांपा के न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया, जहाँ उपरोक्त अपराध के संबंध में आरोप विरचित किए गए हैं।

**4.** अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 461/2012 में अपने दिनांक 25.10.2016 के निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी और उक्त सह–अभियुक्त, अर्थात् अमित सराफ को कथित अपराध के संबंध में सिद्धदोष किया है, यह दृष्टिगत रखते हुए कि राजस्व दस्तावेजों, जैसे वर्ष 2001–02 से 2004–05 का 'खसरा पंचशाला' और वर्ष 2004–05 का बी–1, में प्रत्यर्थी द्वारा छेड़छाड़ की गई थी, और उसमें शिकायतकर्ता – बंशीदास का नाम हटाकर उसके स्थान पर सह–अभियुक्त अमित सराफ का नाम दर्ज किया गया था, और हस्तलेख विशेषज्ञ, अर्थात् मनीषा दुबे (अ.सा.–19) द्वारा दिए गए अभिमत का अवलंब लेते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि कथित छेड़छाड़ प्रत्यर्थी– गुलजार सिंह द्वारा की गई थी और तदनुसार, उसे और उक्त सह–अभियुक्त अमित सराफ को ऊपर उल्लिखित अपराध हेतु सिद्धदोष किया गया।

**5.** उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी गुलजार सिंह और अमित सराफ द्वारा क्रमशः दाण्डिक अपील क्रमांक 146/2016 और दाण्डिक अपील क्रमांक 152/2016 प्रस्तुत की गई, और दिनांक 10.04.2017 के आक्षेपित निर्णय के अधीन, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित उक्त निष्कर्ष को पलटते हुए, प्रत्यर्थी गुलजार सिंह और अमित सराफ को दोषमुक्त कर दिया और, यह अपील केवल दाण्डिक अपील क्रमांक 146/2016 में पारित आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अधीन प्रत्यर्थी गुलजार सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/34, 467/34, 468/34, 471/34 और 466 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया है।

**6.** अपीलार्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार सिंह का तर्क है कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय विचारण न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए, स्पष्ट रूप से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत है। वर्ष 2001–02 से 2004–05 तक के राजस्व पत्रों और वर्ष 2004–05 के बी–1 का उल्लेख करते हुए और हस्तलेख विशेषज्ञ (अ.सा.– 19) द्वारा दी गई राय का उल्लेख करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि विचारण अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी को दोषमुक्त करते समय कथित सामग्री पर उचित तरीके से विचार नहीं किया, जो कि संबंधित गाँव के पटवारी द्वारा कथित राजस्व पत्रों में की गई कथित जालसाजी को पर्याप्त रूप से स्थापित करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**7.** दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री अपूर्वा निगम ने शिकायतकर्ता बंशीदास (अ.सा.–9) और उनके पुत्र राजूदास (अ.सा.–8) के कथन का संदर्भ देते हुए तर्क किया कि शिकायतकर्ता स्वयं इस तथ्य को स्थापित करने में असफल रहे हैं कि कथित भूमि उन्होंने द्वारिका गुप्ता से खरीदी थी, जैसा कि उन्होंने दिनांक 05.11.2011 को की गई शिकायत (प्र.पी.–9) में आरोप लगाया है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी गुलजार सिंह के नमूना हस्ताक्षर, जिन पर एस–1 से एस–42 अंकित है और उनके द्वारा संबंधित तहसीलदार को दिया गया "आकस्मिक अवकाश आवेदन", हस्तलेख विशेषज्ञ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि न तो नमूना हस्ताक्षर भेजे गए थे, जैसा कि अन्वेषण अधिकारी के कथन से ज्ञात हुआ है, और न ही कथित जब्त वस्तु, अर्थात् "आकस्मिक अवकाश आवेदन", क्योंकि यह उसके सत्यापनकर्ता साक्षियों द्वारा प्रमाणित नहीं पाया गया था, इसलिए, हस्तलेख विशेषज्ञ (अ.सा.–19) द्वारा दिया गया अभिमत, जिसकी अन्य साक्ष्यों द्वारा भी संपुष्टि नहीं की गई थी, कोई सहायक नहीं होगी। उन्होंने **मुरारी लाल विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (1980) 1 एससीसी 704** के प्रकाशित प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अवलंब लिया और तर्क किया कि अपीलीय न्यायालय ने हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा दिए गए अभिमत पर अविश्वास करते हुए, प्रत्यर्थी को कथित अपराध से दोषमुक्त करने में कोई अवैधता नहीं की है।

**8.** हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और संपूर्ण अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

**9.** प्रकरण में आगे बढ़ने से पूर्व, यह विचार किया जाना चाहिए कि दोषमुक्ति आदेश के मामले में, निर्दोषता की सामान्य धारणा प्रबल हो जाएगी जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **एटली विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1955 एससी, 807** में प्रकाशित प्रकरण में, अभिनिर्धारित किया था और यदि अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो अपील न्यायालय को दोषमुक्ति आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **संबासिवन व अन्य विरुद्ध केरल राज्य के प्रकरण में, (1998) 5 एससीसी 412** में प्रकाशित और, दोषमुक्ति अपील पर विचार करते समय क्या दृष्टिकोण होगा, यह उच्चतम न्यायालय ने **रमेश बाबूलाल दोशी विरुद्ध गुजरात राज्य (1996) 9 एससीसी 225** में प्रकाशित प्रकरण में अभिनिर्धारित किया था, जिसमें पैरा 7 में निम्नानुसार अवधारित किया गया है:–

> "7. आगे बढ़ने से पूर्व यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपील पर विचार करते समय उच्च न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अनुचित था क्योंकि उसने इस प्रश्न पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया कि क्या दोषमुक्ति आदेश अभिलिखित करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए कारण उचित थे या नहीं। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए संपूर्ण साक्ष्य का स्वतंत्र पुर्वविवेचन किया। इस न्यायालय ने बार–बार यह प्रतिपादित किया है कि मात्र यह तथ्य कि विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अतिरिक्त कोई अन्य दृष्टिकोण अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य के पुर्वविवेचन पर वैध रूप से प्राप्त किया जा सकता है, दोषमुक्ति आदेश में हस्तक्षेप करने का एक वैध और पर्याप्त आधार नहीं बन सकता, जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर न पहुँचे कि साक्ष्य पर विचार करते समय विचारण न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से अस्थिर थे। दोषमुक्ति प्रकरण में निर्णय पारित करते समय अपीलीय न्यायालय सर्वप्रथम इस प्रश्न का उत्तर तलाशना आवश्यक है कि क्या विचारण न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अनुचित, स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण या स्पष्ट रूप से असंधारणीय हैं। यदि अपीलीय न्यायालय उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देती है, तो दोषमुक्ति आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत, यदि अपीलीय न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह मानती है कि उपरोक्त किसी भी दुर्बलता के दृष्टिगत दोषमुक्ति आदेश को बिल्कुल भी यथावत नहीं रखा जा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सकता है, तो वह–और केवल तभी–अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए साक्ष्य का पुर्वविवेचन कर सकती है। उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार, हमें पहले यह ज्ञात करना होगा कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष संधारणीय हैं या नहीं।

**10.** उपर्युक्त प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को विचार में रखते हुए, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों की परीक्षण करना आवश्यक है ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि क्या अपील न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को कथित अपराध से दोषमुक्त करने हेतु अभिलिखित निष्कर्ष विकृत हैं या उन्हें यथावत रखा जाए।

**11.** शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांपा के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 156(3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन (प्र.पी.–9) के परिशीलन से, यह दर्शित हुआ कि वह खसरा नम्बर 289, जिसका क्षेत्रफल 0.90 एकड़ है, का स्वामी है और राजस्व दस्तावेज उसके नाम पर दर्ज हैं। उसने आरोप लगाया कि जब वह उक्त गाँव से बाहर था, तो प्रत्यर्थी ने उसका नाम हटाते हुए और उसके स्थान पर सह–अभियुक्त, अर्थात् अमित सराफ का नाम दर्ज करते हुए राजस्व दस्तावेजों में छेड़छाड़ की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**12.** कथित आरोपों को साबित करने के लिए, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों से यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि वह कथित भूमि का स्वामी है और प्रत्यर्थी द्वारा कथित राजस्व दस्तावेजों में हेराफेरी और/या जालसाजी करते हुए उसका नाम हटा दिया गया है। परंतु, उसके (अ.सा.–9) कथन का सरल परिशीलन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि यद्यपि, उसने यह कहा था कि उसने कथित भूमि, अर्थात् खसरा नम्बर 289, जिसका क्षेत्रफल 0.90 एकड़ है, द्वारिका गुप्ता नामक व्यक्ति से 13,000/– रुपये में खरीदी थी, फिर भी, इस आशय का न तो कोई पंजीकृत विक्रय– विलेख अभिलेख में दर्ज किया गया, न ही उसका नाम दर्शाने वाला 'नामांतरण पंजी' दर्ज किया गया। आगे उसके अभिसाक्ष्य से यह भी ज्ञात होता है कि उन्होंने कथित भूमि 'चकबंदी' और 'विनिमय विलेख' के आधार पर अर्जित की थी, लेकिन इनमें से कोई भी दस्तावेज़ अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उन्होंने कथित भूमि पर कोई अधिकार, स्वत्व या हित अर्जित किया था। यद्यपि, उनका पुत्र, अर्थात, राजूदास (अ.सा.–8) यह बताने में असमर्थ रहा कि कथित भूमि के संबंध में उसके पिता का नाम राजस्व दस्तावेज़ों में कैसे दर्ज हुआ।

**13.** यह भी देखा जाना चाहिए, जैसा कि जब्ती मेमो, जिस पर प्र.पी–3 अंकित है, से ज्ञात होता है कि विक्रय का एक दस्तावेज दो साक्षियों, अर्थात् माधव डडसेना (अ.सा.–3) और जयशंकर (अ.सा.–4) की उपस्थिति में बरामद किया गया था। लेकिन, कथित जब्ती मेमो के सरल परिशीलन से यह तथ्य

सामने आता है कि उसमें जब्त किया गया कथित विक्रय का दस्तावेज, खसरा नम्बर 418 की भूमि से संबंधित था, जिसका क्षेत्रफल 0.87 हेक्टेयर था और जिसका मूल्य 9,000/– रुपये था, जो कि विचाराधीन भूमि, अर्थात् खसरा नम्बर 289, जिसका क्षेत्रफल 0.90 एकड़ था, से भिन्न है।

**14.** उपर्युक्त विश्लेषण के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि यद्यपि शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन (प्र. पी–9) में आरोप लगाया है कि उसने द्वारिका गुप्ता से कथित भूमि खरीदी थी, परंतु वह इसे साबित करने में असफल रहा है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने उक्त द्वारिका गुप्ता से खसरा नम्बर 289, जिसका क्षेत्रफल 0.90 एकड़ है, पर कोई हित अर्जित किया था।

**15.** जहाँ तक वर्ष 2001–02 से 2004–05 तक के 'खसरा पंचशाला' और वर्ष 2004–05 के बी–1 जैसे राजस्व दस्तावेजों का संबंध है, जिन्हें प्र.पी–4 द्वारा दो साक्षियों, अर्थात् लालदास मानिकपुरी (अ.सा.–5) और मनाराम पाण्डेय (अ.सा.–6) की उपस्थिति में जब्त किया गया था, तथापि, उक्त राजस्व दस्तावेजों के सरल परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि शिकायतकर्ता बंशीदास का नाम हटा दिया गया था और उसके स्थान पर सह–अभियुक्त अमित सराफ का नाम दर्ज किया गया था, परन्तु यह प्रविष्टि, जो कथित रूप से प्रत्यर्थी गुलजार सिंह द्वारा की गई थी या नहीं, अब इसकी जाँच की जानी है और/या, क्या यह शिकायतकर्ता द्वारा विधिवत साबित की गई थी या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**16.** उपरोक्त तथ्य को स्थापित करने के लिए, प्रत्यर्थी– गुलजार सिंह (एस–1 से एस–42) के नमूना हस्ताक्षर और प्र.पी–6 के अधीन जब्त "आकस्मिक अवकाश आवेदन" को परीक्षण हेतु हस्तलेख विशेषज्ञ, मनीषा दुबे (अ.सा.–19) के पास भेजा गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्र.पी–31–सी) के अधीन यह अभिमत दिया कि कथित राजस्व पत्रों में किए गए कथित हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति, अर्थात प्रत्यर्थी– गुलजार सिंह के हैं। यद्यपि, ऐसा ही माना गया था, लेकिन जाँच अधिकारी, विवेक कुमार पाण्डेय (अ.सा.–18) के कथन के सरल परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि कथित नमूना हस्ताक्षर, जिन्हें गजराज सिंह और जदगीश शर्मा की उपस्थिति में बरामद किया गया था,यद्यपि, साबित नहीं पाए गए क्योंकि दोनों का परीक्षण नहीं कराया गया है। यह भी देखा जाना चाहिए कि कथित "आकस्मिक अवकाश आवेदन", जिसे जब्ती मेमो प्र.पी–6 द्वारा दो साक्षियों, अर्थात् डी.सी. कोशले (अ.सा.–11) और मनाराम पाण्डेय (अ.सा.–6) की उपस्थिति में बरामद किया गया था, उनके द्वारा यह भी साबित नहीं किया गया कि यह उनकी उपस्थिति में संबंधित तहसील कार्यालय की कर्मचारी अलीम्मा बर्गिस (अ.सा.–12) से बरामद किया गया था। इसके दृष्टिगत, यह नहीं कहा जा सकता कि कथित आवेदन और प्रत्यर्थी– गुलजार सिंह के नमूना हस्ताक्षरों को उक्त हस्तलेख विशेषज्ञ के पास परीक्षण हेतु भेजा गया था।

**17.** यह सत्य है कि विशेषज्ञ का अभिसाक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत सुसंगत है और उसके अभिमत पर कार्रवाई करने से पहले उसकी साक्ष्य की संपुष्टि पर बल नहीं दिया जा सकता। पंरतु, वर्तमान प्रकरण में, जैसा कि उपरोक्त अवधारित किया गया है, प्रत्यर्थी के नमूना हस्ताक्षर और संबंधित तहसीलदार के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत कथित "आकस्मिक अवकाश आवेदन" परीक्षण के लिए भेजे जाने योग्य नहीं पाए गए; इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, उसके अभिसाक्ष्य पर कार्रवाई करने से पूर्व, यह देखा जाना चाहिए कि क्या उसके कथन की अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों से संपुष्टि होती है या नहीं, जैसा कि **मुरारी लाल** (पूर्वोक्त) प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि किसी विशेष प्रकरण के तथ्यों के आधार पर, न्यायालय उस पर कार्रवाई करने से पूर्व संपुष्टि की अपेक्षा कर सकता है। पैराग्राफ 4, 6 और 11 में की गई सुसंगत अवलोकन निम्नानुसार हैं:–

> "**4.** हम सबसे पहले उस तर्क पर विचार करेंगे, एक पुराना तर्क जो प्रायः सुना जाता है, विशेषतः दाण्डिक न्यायालयों में, कि किसी हस्तलेख विशेषज्ञ का अभिमत–साक्ष्य पर बिना ठोस संपुष्टि के कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। हम अब यह इंगित करेंगे कि इस तर्क को सिद्धांत या न्यायिक दृष्टांत के आधार पर कैसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। हम इस टिप्पणी से प्रारंभ करते हैं कि विशेषज्ञ कोई सहयोगी नहीं है। उसके अभिमत–साक्ष्य को सहयोगी के साक्ष्य के समान श्रेणी में रखने और संपुष्टि पर बल देने का कोई औचित्य नहीं है। सत्य है, कभी–कभी बहुत उच्च अधिकारियों द्वारा यह कहा गया है कि केवल हस्तलेख विशेषज्ञ के अभिमत के आधार पर दोषसिद्धि करना जोखिमपूर्ण होगा। परंतु किसी भी विशेषज्ञ, हस्तलेख विशेषज्ञ या किसी अन्य प्रकार के विशेषज्ञ के अभिमत को स्वीकार करने में जोखिम इसलिए नहीं है कि विशेषज्ञ, सामान्यतः, अविश्वसनीय साक्षी होते हैं – विश्वसनीयता या अविश्वसनीयता का गुण वह होता है जो एक विशेषज्ञ अन्य समस्त साक्षियों के साथ साझा करता है – बल्कि इसलिए कि समस्त मानवीय निर्णय त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं और एक विशेषज्ञ अवलोकन में किसी दोष, अनुमान में किसी त्रुटि या निष्कर्ष में किसी निष्कपट त्रुटि के कारण गलत हो सकता है। विज्ञान जितना अधिक विकसित और पूर्ण होगा, त्रुटिपूर्ण अभिमत की संभावना उतनी ही कम होगी और यदि विज्ञान कम विकसित और अपूर्ण है तो इसके विपरीत भी हो सकता है। उंगलियों के निशानों की पहचान का विज्ञान लगभग पूर्णता प्राप्त कर चुका है और त्रुटिपूर्ण अभिमत का जोखिम व्यावहारिक रूप से न के समान है। दूसरी ओर, हस्तलेख की पहचान का विज्ञान लगभग उतना पूर्ण नहीं है और इसलिए जोखिम अधिक है। परंतु यह हस्तलेख विशेषज्ञ के अभिमत पर संदेह करने और हर प्रकरण में ठोस संपुष्टि पर बल

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

देने से कोसों दूर है, चाहे वह अभिमत कितने भी ठोस कारणों से समर्थित क्यों न हो। किसी विशेषज्ञ के लिए उसके अभिमत को प्रारंभिक संदेह के साथ देखना और उसे एक निम्न दर्जे का साक्षी मानना उचित नहीं है। उसका अभिमत को उसके द्वारा दिए गए कारणों की स्वीकार्यता से परखा जाना चाहिए। विशेषज्ञ साक्ष्य देता है, निर्णय नहीं लेता। उसका कर्तव्य है 'न्यायाधीश को उसके निष्कर्ष की सटीकता के परीक्षण हेतु आवश्यक वैज्ञानिक मानदंड प्रदान करना, ताकि न्यायाधीश इन मानदंडों को साक्ष्य में साबित तथ्यों पर लागू करके अपना स्वतंत्र निर्णय ले सके।'

**6.** साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ का अभिसाक्ष्य को सुसंगत बनाया गया है और जहाँ न्यायालय को लिखावट की पहचान के संबंध में किसी बिंदु पर अभिमत बनाना हो, वहाँ 'लिखावट की पहचान से संबंधित प्रश्नों में विशेषतः कुशल' व्यक्ति के अभिमत को स्पष्ट रूप से एक सुसंगत तथ्य माना जाता है.... अतः हस्तलेख विशेषज्ञ के अभिमत पर कार्रवाई करने से पूर्व संपुष्टि पर सदैव बल नहीं दिया जा सकता और इसमें कोई प्रारंभिक संदेह भी नहीं होना चाहिए। परंतु, किसी विशेष प्रकरण के तथ्यों पर, न्यायालय भिन्न–भिन्न स्तर की संपुष्टि की माँग कर सकता है। कोई निश्चित नियम नहीं हो सकता, परंतु कोई भी तथ्य किसी विशेषज्ञ के अभिमत को, बिना किसी चुनौती के, केवल इस आधार पर अस्वीकार करने को उचित नहीं ठहराएगी कि उसकी संपुष्टि नहीं हुई है। किसी हस्तलेख विशेषज्ञ के अभिमत पर विचार करते समय न्यायालय का दृष्टिकोण सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना, अभिमत के कारणों की जाँच करना, अन्य सभी सुसंगत साक्ष्यों पर विचार करना और अंततः उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेना होना चाहिए।

**11.** हमारा दृढ़ अभिमत है कि न तो कोई विधि का नियम है, न ही कोई विवेक का नियम जो विधि के नियम में परिवर्तित हो गया हो, कि किसी हस्तलेख विशेषज्ञ की अभिमत–साक्ष्य पर कभी भी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि उसकी ठोस संपुष्टि न हो जाए। परंतु, हस्तलेख की पहचान के विज्ञान की अपूर्ण प्रकृति को विचार में रखते हुए, जैसा कि हमने पूर्व संकेत दिया है, यह दृष्टिकोण सावधानी का होना चाहिए। अभिमत के कारणों की सावधानीपूर्वक जाँच और परीक्षण किया जाना चाहिए। अन्य सभी सुसंगत साक्ष्यों पर विचार किया जाना चाहिए। उपयुक्त प्रकरणों में, संपुष्टिकरण की मांग की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ अभिमत के कारण विश्वसनीय हों और कोई विश्वसनीय साक्ष्य न हो जिससे कोई संदेह हो, हस्तलेख विशेषज्ञ की असंपुष्ट साक्ष्य को स्वीकार किया जा सकता है। ऐसे प्रकरण पर कोई भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अटल नियम नहीं हो सकता, जो अंतिम विश्लेषण में, अभिसाक्ष्य के महत्व के प्रश्न से अधिक कुछ न हो। हमने इतना कुछ इसलिए कहा है क्योंकि यह तर्क प्रायः विचारण न्यायालयों में दिया जाता है और इस न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ से हटकर दिए गए वाक्यों को दिखावटी बना दिया जाता है।

**18.** उपर्युक्त प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, हमने हस्तलेख विशेषज्ञ, मनीषा दुबे (अ.सा.–19) की अभिसाक्ष्य की परीक्षण किया कि क्या उनकी साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों से संपुष्ट हुई थी, किंतु हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उनके द्वारा दिए गए अभिमत(प्र.पी.–31–सी) पर आधारित उनके कथन की संसंपुष्टि हुई थी। इसलिए, कथित अपराध के लिए प्रत्यर्थी को उत्तरदायी ठहराने के लिए इस का अवलंब नहीं लिया जा सकता।

**19.** फलस्वरुप, हमें प्रत्यर्थी को कथित अपराध के लिए दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय में कोई दुर्बलता प्रतीत नहीं होती, जिससे इस अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

**20.** अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है, तदनुसार, खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

| | |
|---|---|
| **सही/–** | **सही/–** |
| **(संजय एस. अग्रवाल)** | **(राधाकिशन अग्रवाल)** |
| **न्यायाधीश** | **न्यायाधीश** |

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**